सरकार का कदम :-

→ सरकार ने क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए रामनंदन समिति (1993) का गठन किया।

→ भारत तथा राज्य सरकार के Group 'A' राज्य सरकार के Group 'A' आर्मी मे कर्नल और उससे बड़े Rank के अधिकार सब क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं।

→ सरकार ने 76 वें संविधान संशोधन 1994 के माध्यम से तमिलनाडु राज्य को 69% के आरक्षण को वैध कर दिया।

→ 81 वां संविधान संशोधन 2000

→ इसके माध्यम से सरकार ने बैक लॉग मे 50% की सीमा के उल्लंघन के प्रावधान किया।

→ इसके माध्यम से अनुच्छेद - 16(4)(B) जोड़ा गया।

→ वर्तमान समय में पदोन्नति का आरक्षण का प्रावधान सिर्फ SC ST का आरक्षण 22.5% के लिए है।

→ OBC EWS Category को पदोन्नति आरक्षण नही दिया गया।

देवदासन बनाम भारत सरकार वाद/केस (1964) कैरी फारवर्ड (carry forward) नियम से संबंधित है।

Article - 16 (5)

- राज्य किन्हीं धार्मिक संप्रदायिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए विशेष धर्म के व्यक्ति को वरीयता दे सकता है!

जैसे :- मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मदरसा आदि में राज्य विशेष धर्म के व्यक्तियों को वरीयता दे सकता है!

Article - 16 (6)

- इसको 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया (124 वाँ विधेयक)
- इसके माध्यम से EWS Category को 10% आरक्षण दिया गया
- वर्तमान समय में
  - OBC - 27%
  - SC - 15%
  - ST - 7.5%
  - EWS - 10%

  का आरक्षण है

EWS :-

- जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक न हो .
- 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो
- 1000 sqft से कम आवास हो

NOTE :-

- भारत के संविधान में अनुच्छेद - 334 में 70 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान था परन्तु सरकार ने इसे बार - बार आगे बढ़ाया।
- वर्तमान में 104वे॰ संविधान संशोधन के माध्यम से 15 Jan 2030 तक के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया है।

आरक्षण :-

लोक सभा SC ST - / अनुच्छेद - 330
आंग्ल भारतीय (Anglo-Indian) - अनुच्छेद - 331
राज्य विधान मंडल - अनुच्छेद - 332
आंग्ल भारतीय राज्य विधान - अनुच्छेद - 333.
(Anglo-Indian in state)

Article - 17

[अस्पृश्यता का अंत
Abolition of Untouchability]

- भारत के संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है।
- Supreme Court ने जयसिंह बनाम भारत संघ 1976 वाद केस में यह कहा अस्पृश्यता का अर्थ ऐतिहासिक बताया।

→ महात्मा गाँधी ने कहा अस्पृश्यता (छुआ-छूत) एक पाप है

→ भारतीय समाज में लम्बे समय से अस्पृश्यता होती रही है

जैसे:- जाति के आधार पर
धर्म " " "
लिंग " " "

अनुच्छेद-17 में दो प्रावधान है
1. मना है (Forbidden)
2. करने पर दंड का प्रावधान है (दंड का प्रावधान राज्य करेगा) (Punisable offence).

* राज्य ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955

इस Act में सरकार ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनिय 1976 बनाया

SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम (1989)

संशोधन 2018-2019

→ इस प्रकार से हमारे संविधान ने अपूश्यता का अंत हुआ !

Article - 18

[उपाधियों का अंत
Abolition of Titles]

राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

राज्य सेना और शिक्षा को छोड़कर किसी को उपाधी नहीं देगा।

जैसे :- DR, Dr.

स्वतंत्रता से पहले राय, वीर, बहादुर, राजा, नाइट हुड, लॉर्ड, सर, आदृय की उपाधी दी जाती थी।

Article - 18 (1)

राज्य सेना या शिक्षा के सिवाय को उपाधी प्रदान नहीं करेगा।

Article - 18 (2)

~~कोई~~ भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधी स्वीकार नहीं करेगा।

Article - 18 (3)

कोई विदेशी जो राज्य के अधीन लाभ के पद पर कार्य कर रहा है राष्ट्रपति के सहमति के बिना उपाधी धारण नहीं करेगा।

Article - 18 (4)

कोई व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या विदेशी यदि राज्य के अधीन लाभ का पद धारन करता है राष्ट्रपति की सहमति के बिना भेट उपलब्धि स्वीकार नहीं करेगा।

NOTE :-

→ भारत में उपाधियों का अंत C. राजगोपालाचारी ने की थी।

→ पद्म पुरस्कार (1954) में शुरू किए गए थे परन्तु पद्म पुरस्कारों को उपाधी के अंतर्गत नहीं रखा गया है।

स्वतंत्रता का अधिकार (Article - 19-22)

Article - 19

अनुच्छेद - 19 में दो प्रकारों में बाँटा गया है।

अनुच्छेद - 19 (1) नागरिकों के अधिकार

अनुच्छेद - 19 (2) राज्य के अधिकार प्राप्त हैं।

अनुच्छेद - 19 में सहसंबंधित अधिकारों का वर्णन है।

Article - 19 (1)(a)

[भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता]

→ भाषण और अभिव्यक्ति में मौलिक अंतर है। अभिव्यक्ति के अंतर्गत लिखकर बोलकर तथा सांकेतिक माध्यम शामिल होते हैं।

→ Supreme Court ने समय - समय पर अभिव्यक्ति के अधिकार को परिभाषित किया है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र अभिव्यक्ति का अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

→ Supreme Court के विभिन्न निर्णय में जैसे :-
प्रेस की आजादी।

राष्ट्रगान की स्वतंत्रता

→ राष्ट्रगान गाना अनुच्छेद - 19 का भाग है !

→ Supreme Court ने राष्ट्रगान मे चुप रहने या शांत रहने के अधिकार को अनुच्छेद - 19(1)(a) के अंतर्गत माना (इमैनुएल बनाम केरल सरकार 1980) के मामले में !

→ Supreme Court ने इसको नेशनल ऑनर Act 1971 का उल्लंघन नहीं माना !

राष्ट्रध्वज का प्राइवेट ~~बिल्डि~~ बिल्डिंग पर प्रयोग !

→ Supreme Court ने नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार वाद / केस (2004) मे Private Building पर राष्ट्रध्वज का प्रयोग अनुच्छेद - 19(1)(a) के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना परन्तु ध्वज संहिता 2022 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए !

→ Supreme Court ने NOTA को अनुच्छेद - 19(1)(a) के अंतर्गत माना !

→ RTI (सूचना का अधिकार) अनुच्छेद - 19(1)(a) !

Article	Topic	निर्बंधन
19(1)(a)	भाषण और अभिव्यक्ति	19(2)
19(1)(b)	सभा करने की स्वतंत्रता	19(3)
19(1)(c)	संघ/संगठन बनाने की स्वतंत्रता	19(4)
19(1)(d)	भ्रमण करने की स्वतंत्रता	19(5)
19(1)(e)	निवास करने की स्वतंत्रता	19(5)
19(1)(g)	व्यवसाय करने की स्वतंत्रता	19(6)

अनुच्छेद - 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं जो निम्नलिखित हैं

S - संप्रभुता (Soveriginty)
I - अखण्डता (Integrity)
P - लोक-व्यवस्था (Public-Order)

राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्य के साथ मैत्री पूर्ण संबंध

शिष्टाचार या सदाचार

इसके अंतर्गत राज्य ऐसी अभिव्यक्तियों पर रोक लगा सकता है जो अश्लील (obscence of indecent) प्रकृति की हैं

न्यायालय की अवमानना (contempt of Court).

Article - 19(1)(b)

शांतिपूर्वक और निरायुध (Without Army) सम्मेलन का अधिकार।

→ भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

→ सम्मेलन के अधिकार में सभा आयोजन करना जूलूस निकालना, प्रदर्शन करना ये सभी शामिल हैं।

→ अनुच्छेद - 19(3) के तहत निर्बंधन लगाया गया है जिसमें संप्रभुता, अखण्डता, लोक-व्यवस्था के आधार पर पाबंदी लगायी जा सकती है।

Article - 19(1)(c)

संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार।

→ 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा गया।

→ इसके अंतर्गत मजदूर संगठन, दबाव समूह, राजनीतिक दल इत्यादि।

→ अनुच्छेद - 19(4) में संघ संगम बनाने के अधिकार पर निर्बंधन लगाया जाता है।
जैसे:- लोकव्यवस्था सदाचार संप्रभुता एवं अखण्डता

Article - 19 (1)(d)

भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाद संचरण का अधिकार !

→ कोई भी नागरिक भारत की सीमा के अंतर्गत बिना बाधा के संचरण कर सकता है यह अधिकार सिर्फ देश के अंदर संचरण का अधिकार देता है !

→ इस अधिकार पर अनुच्छेद - 19(5) के तहत निर्बंधन लगाया जा सकते हैं !

→ साधारण जनता के हित के आधार पर

* अनुसूचित जाति जनजाति के हित के आधार पर।
* वेश्यावृति के संचरण पर !
* COVID प्रभावित व्यक्ति के संचरण पर रोक !
* महामारी में संचरण पर रोक !
* AIDS प्रभावित व्यक्ति पर निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता !

Article - 19(1)(e)

→ भारत में किसी नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने / बसने का अधिकार !

→ इस अधिकार पर अनुच्छेद - 19 (5) में निर्बंधन पाबंदी लगायी जा सकती है !

जैसे :- साधारण जनता के हित मे !
अनुसूचित जाति जनजाति के हित में !

Article - 19 (1) (f)

→ यह संपत्ति का अधिकार था सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा के माध्यम से मूल अधिकार से हटा दिया।

→ वर्तमान में यह अनुच्छेद - 301 (A) के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है।

Article - 19 (1) (g)

→ किसी भी नागरिक का कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार कारोबार करने का अधिकार है

→ नागरिकों को अपनी आजीविका चलाने के लिए ये सारे अधिकार दिए गए हैं।

→ अनुच्छेद - 19(6) मे इस अधिकार के युक्त-युक्त निर्बंधन लगाएँ गए हैं।

* साधारण जनता के हित से जुड़े निर्बंधन !
* किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकि अर्हताएँ निर्धारित करना !
* नागरिकों को किसी व्यापार या कारोबार से इसलिए वर्जित कर देता क्योंकि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार करना चाहता है!

Article - 20

अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।

Article - 20 (1)

[भूत लक्षी विधि से संरक्षण
Protection from Expost Facto-Law]

- कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उतनी ही सजा का हकदार होगा जितनी सजा उस समय निर्धारित की गई है।
- यह कानून सिर्फ फौजदारी पर लागू होगा!
- दिवानी मामलों में भूत-लक्षी विधि से लागू की जा सकती है!

Article - 20 (2)

[दोहड़े दंड से संरक्षण
Protection from double jeopardy]

- किसी एक व्यक्ति को किसी एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जाएगी!

Article - 20(3)

[स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण
Protection from self incrimination.]

→ किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं जाएगा।

कर्नाटक राज्य बनाम सेल्नी (2010)

→ Supreme Court ने कहा नारको टेस्ट, जीन प्रिंटिंग, पाली ग्राफ से करना गलत है।

→ Supreme Court ने कहा DNA प्रिंटिंग प्रिंट करना गलत नहीं है।

Article - 21

जीवन का अधिकार

[प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
Protection to Life and Personal Liberty.]

→ किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ विधि द्वारा स्थापित से ही वंचित किया जा सकता है।

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by law)	विधि की सम्यक (उचित) प्रक्रिया (Due Process of law)
→ जापान से लिया गया है।	→ अमेरिका से लिया गया है।
→ ब्रिटेन का सिद्धांत है।	→ कानून पर ध्यान दिया जाता है, प्रक्रिया के साथ।
→ कानून की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है कानून पर नहीं।	

ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद/केस (1950)

→ ए० के० गोपालन वाद 1950 में Supreme Court ने निवारक निरोध अधिनियम 1950 को सही माना

→ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत माना

(ए० के० गोपालन - समाजवादी, मार्क्सवादी)

✱ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत विधायिका जीवन के अधिकार के विरुद्ध बना सकती है कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं है।

मेनका गाँधी बनाम भारत सरकार वाद/केस (1978)

→ Supreme Court ने विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद-21 के अंतर्गत बताया।

→ विधायिका कार्यपालिका दोनो ही जीवन के किसी को वंचित नहीं कर सकती हैं।

→ अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से व्यक्ति को Just fair & Reasonable (JFR) विधि माध्यम से ही वंचित किया जा सकता है अनुच्छेद-14 और अनुच्छेद-19 को ध्यान में रखते हुए।

→ मेनका गाँधी वाद केस से अनुच्छेद-21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया दोनो का वर्णन है।

* मरने का अधिकार :-

अधित्याग का सिद्धांत

→ मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अधित्याग का सिद्धांत प्रदान नहीं किया गया अर्थात् आप मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं सकतें।

अरुणाशानबाग वाद/केस (2011)

→ Supreme Court ने भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना ! सक्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना।

निष्क्रिय इच्छा मृत्यु :-

→ किसी व्यक्ति को बिना जहर दिए स्वतः मर जाना !

सक्रिय इच्छा मृत्यु :-

→ किसी व्यक्ति को जहर देकर मार देना !
जैसे :- बेल्जियम, नीदरलैंड, आदि मे वैध है !

Supreme Court के द्वारा अनुच्छेद-21 की व्याख्या।

→ गरिमामय - जीवन का अधिकार — मानव जीवन

→ त्वरित सुनवाई का अधिकार - हुसैन आरा खातुन वाद 1979 (Right tospeedy to trial)

→ स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार - M.C. मेहता वाद 2019.

→ विशाखा बनाम भारत संघ वाद/केस 1997
↳ यौन उत्पीड़न कार्य स्थल पर यौन शोषण

→ पुट्टा स्वामी वाद/केस 2017
↳ एकांत का अधिकार

→ परमानंद कटारा वाद/केस
↳ स्वास्थ्य का अधिकार !
बच्चा पैदा कराना !

→ Gay and Marriage, Lesbian Marriage and Love Marriage.

→ शिक्षा का अधिकार

→ 86 वें संशोधन 2002 के माध्यम से 2002 में अनुच्छेद - 21(A) मौलिक अधिकार बना दिया गया जिसमें 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं Compulsory शिक्षा का प्रावधान है !

→ शिक्षा का अधिकार Act 2009 में बना 1st April 2010 से लागू किया गया !

Article - 22

[कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
Protection Against Arrest and Detention.]

→ अनुच्छेद - 22 के अंतर्गत दंडात्मक एवं निवारक दोनों प्रकार के प्रावधान हैं !

* दंडात्मक - जुर्म के बाद !
* निवारक - जुर्म के पहले !

Article - 22 (1) (A)

→ गिरफ्तारी का कारण !

→ वकील रखने का अधिकार !

→ गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार !

निवारक निरोध (Preventive Detention).

गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाता है

24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते हैं

Article - 22 (7)

* निवारक नजरबंदी

3 महिनें से अधिक गिरफ्तारी में नहीं रखा जाएगा

न्यायधीशों का सलाहकारी बोर्ड 3 महिनें से अधिक के लिए अनुमति दे सकता है

* निवारक निरोध अधिनियम -(1950)

इस कानून को 1 April 1951 को रद्द कर दिया गया

* आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA- Maintainance of Internal Security Act 1971)

इस कानून को जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त कर दिया

* विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (1971).

* आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियाँ (निवारक) अधिनियम (1987).

(TADA - Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act - 1987)

इस कानून को 1990 में रद्द कर दिया गया

* आतंकवाद निवारक अधिनियम - 2002
(Prevention of Terrorisim Act - 2002)

वर्तमान में यह कानून भारत में लागू नहीं है

* गैर - कानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम 2008

MISA	1971
TADA	1986 (1987 में लागू)
POTA	2002
NSA	1980.

शोषण के विरूद्ध अधिकार (Article - 23-24)

Article - 23

[मानव दुर्व्यापार और बलात श्रम के विरूद्ध अधिकार
Right Against Human trafficking and forced Labour]

Article - 23(1)

→ अनुच्छेद -23(1) के अंतर्गत मानव की खरीद-फरोत, दास प्रथा, देवदासी प्रथा, आदि मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत अवैध हैं।

बलात श्रम :-

→ इसके अंतर्गत बल पूर्वक कार्य कराना, बिना मर्जी के कार्य कराना, कम पैसे देकर कार्य कराना, बंधुआ मजदूरी कराना, आदि आते हैं।

* न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
* contract Labour Act 1970
* अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956
* बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976.

Article - 23(2)

राज्य सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य सेवा करा सकता है परन्तु राज्य जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेद-भाव नहीं करेगा।

Article - 24

- कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध।
- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से कारखानों खानों खतरनाक कार्य नहीं कराया जाएगा।
- संसद ने Child Labour Act 1986 बनाया जिसमें 2016 में संशोधन किया गया और वर्तमान में-
  - 0-14 वर्ष का बालक कोई कार्य नहीं करेगा।
  - 14-18 वर्ष का किशोर कोई भी खतरनाक कार्य नहीं करेगा।
  - 18+ के युवा कोई भी कार्य कर सकता है।

M.C. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1997)

- Supreme Court ने पुनर्वास कोष की स्थापना बराबरी का वेतन जैसे निर्णय दिए।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Article-25-28)

Article - 25

[धर्म के अंत:करण मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार]

Article - 25(1)

- अनुच्छेद -25 में प्राप्त स्वतंत्रताओं पर लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ के आधार पर रोक लगा।
- राज्य धार्मिक आचरण, पंथ निरपेक्षता गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकता है।
- इसके अंतर्गत सती प्रथा जैसी कुरितियों पर पाबंदी लगायी गई।

सायराबानो बेगम केस / वाद (2017)

- इस केस / वाद में Supreme Court ने तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया।

Article - 25 (2)

- हिन्दू धर्म की संस्थाएँ सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सभी वर्गों के लिए खुलेगी
- सिख धर्म में कृपाण धारण करना धार्मिक आचरण है कृपाण की लम्बाई 9 inch से अधिक न हो

Article - 26

[धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार
Right to Manage Religious Affairs.]

- यह अधिकार व्यक्ति और नागरिकों को प्राप्त नहीं है।
- यह अधिकार धार्मिक संप्रदायों को प्रदान किया जाता है!
- Supreme Court ने 1982 में धार्मिक संप्रदाय की परिभाषा दी जिसमें -
  - समान धर्म में विश्वास करने वाले!
  - सामान्य उद्देश्य संगठन!
  - विशिष्ठ नाम!

वाले समूह संगठन को धार्मिक संप्रदाय कहा गया

जैसे :- रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग!

सबरीमाला मंदिर वाद/केस (2018)

केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश Supreme Court ने अनुमति प्रदान कर दी और सबरीमाला मंदिर के धार्मिक संप्रदाय के रूप में स्वीकार नहीं किया।

Article - 27

[धार्मिक कर (Tax) न देने की स्वतंत्रता]

अनुच्छेद - 27 में सभी प्रकार के कर जैसे - जजिया, जकात आदि छूट प्रदान की गई है।

शुल्क सुविधा के लिए दिया जाता है।

कर (Tax) compulsory प्रावधान है।

Article - 28

[शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान]

→ राज्य द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संस्थाएँ
→ धार्मिक शिक्षा नहीं।

→ राज्य से अंशतः वित्तिय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएँ → धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।

→ राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थाएँ
→ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।

→ ऐसी संस्थाएँ जो राज्य द्वारा प्रशासित हो किन्तु जिनकी स्थापना किसी धार्मिक न्यास (Trust) आदि के अधीन हुई हो → धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।

अरूणाराय वाद / केस 2002

इस केस वाद में Supreme Court ने National Curriculum frame Work में सभी धर्मों के शिक्षा के बारे में प्रावधान करने का आदेश दिया न की किसी एक धर्म का।

शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार (Article-29-30)

Article-29

[अल्पसंख्यकों का संरक्षण
Protection of Minorities.]

Article-29(1)

→ भारत में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों को भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा।

→ भारत के संविधान में अल्पसंख्यों को परिभाषित नहीं किया गया है।

→ भारत में दो आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण है - ① भाषायी ② धार्मिक

टी॰ एम॰ पाई वाद / केस (2002)

→ इस केस मे Supreme Court ने अल्पसंख्यों के संबंध में परिभाषा दी जिसकी जनसंख्या 50% से कम है वो अल्पसंख्यक है इस आधार पर भारत मे 6 धर्म मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, और जैन धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं।

→ जैन धर्म को 2014 में जोड़ा गया।

NOTE :-

→ विश्व संयुक्त राष्ट्र अल्पसंख्यक घोषणा पत्र के माध्यम से अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है।

Article - 29 (2)

→ राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश में राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर भेद-भाव नहीं करेगा।

NOTE :-

→ लिंग के आधार पर राज्य भेद-भाव कर सकता है जैसे :- Girls College, Boys College.

Article - 30

→ अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रूची की शिक्षण संस्था की स्थापना (Establishment) और प्रशासन का अधिकार।

→ प्रशासन में फीस का निर्धारण अल्पसंख्यक समूह का 80-90% staff का चयन स्वयं करने का अधिकार है।

Article - 31

[संपत्ति का अधिकार
Right to Property.]

संपत्ति का अधिकार संविधान के प्रारंभ में मौलिक अधिकार था परन्तु प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को नियंत्रित कर दिया गया

Article-31(A)

राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है

Article- 31(B)

इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई

इन विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती

44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद - 300(A) के तहत कानूनी अधिकार (Legal Rights) या संविधिक अधिकार बना

NOTE:-

कामेश्वर सिंह वाद / केस -(बिहार)
शंकरी प्रसाद वाद / केस -(1951)

Article -32

[संविधानिक उपचारों का अधिकार
Right to Constitutional Remedies.]

→ अनुच्छेद - 32 को Dr. B.R. Ambedkar ने संविधान की आत्मा कहा !

→ इसे ब्रिटेन से लिया गया था !

Article - 31(1)

→ Supreme Court याचिका जारी करेगा !

Article - 32(2)

→ इसमें 5 प्रकार रिट है इसको न्याय का झरना कहते है !

अनुच्छेद - 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की याचिका है

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण
2. परमादेश
3. अधिकार पृच्छा
4. प्रतिषेध
5. उत्प्रेक्षण

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeous Corpus)

→ इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर पेश करना (Bring the body)

→ इस रिट की पुलिस की अवैध्य गिरफ्तारी 24 घंटे में किसी व्यक्ति को न पेश होने, व्यक्ति को बंदी बनाये जाने पर प्रयोग किया ~~जाता~~ जाता है!

NOTE :-

→ यह याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है।

परमादेश (Mandmus)

→ इस रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं (We Command).

→ इस याचिका को सरकारी सार्वजनिक पद के खिलाफ जारी किया जाता है।

→ राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरूद्ध नहीं।

अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)

→ इस रिट का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से (What Authority).

→ इस याचिका का प्रयोग किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की वैधानिकता की जाँच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

→ निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं।

→ जजों के खिलाफ नहीं।

प्रतिषेध (Prohibition)

→ उच्च न्यायलय यानि ऊपर के न्यायलय निचे के न्यायलय के विरुद्ध जारी करता है उसका अर्थ होता है रोक देना (Just Stop).

उत्प्रेक्षण (Certiorari)

→ इस याचिका को भी उच्च न्यायलय निम्न न्यायलय के विरुद्ध जारी करता है और मामले को रोक कर अपने पास बुलाता है (Stop and send to me)

* उच्च न्यायलय की शक्ति याचिका जारी करने में सर्वोच्च न्यायलय से अधिक है क्यों ?

→ सर्वोच्च न्यायलय सिर्फ मौलिक अधिकारों के विरुद्ध याचिका जारी करता है जबकि उच्च न्यायलय मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों के खिलाफ जारी कर सकता है।

→ सर्वोच्च न्यायलय अनुच्छेद - 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है जबकि अनुच्छेद - 226 के तहत उच्च न्यायलय 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है छठी रिट का नाम है अंतरिम राहत (Injunction). !

Article-33

→ संसद को सैन्य बल, लोकव्यवस्था बनाने वाले, अधिसूचना, RAW, IB से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है इसका कारण है अनुशासन बनाये रखना !

Article - 34

→ जिस क्षेत्र में सैन्य कानून (मार्शल लॉ) लागू हो उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है

जैसे :- AFSPA (Armed Forces Special Power Act 1958) नागालैंड, मणिपुर, J&K, असम आदि क्षेत्र में लागू !

Article - 35

→ मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ भारत की संसद के पास है राज्य विधान मंडल के पास नहीं है !

NOTE :-

अनुच्छेद - 16(3), 32(3), 33, 34.

भाग - 4 (Article - 36-51)

राज्य के नीति निर्देशक तत्व
Directive Principles of state Policy

→ संविधान निर्माताओं के द्वारा भविष्य की सरकारों के लिए दिए गए दिशा - निर्देश जिनका पालन सरकार नीति निर्माण करेगी।

→ यह भारत के संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं और आयरलैंड के संविधान में स्पेन से लिए गए हैं।

→ 1935 के अधिनियम में DPSP को निर्देशों का उपकरण (Instrument of Instruction) कहा गया।

→ नीति निर्देशक तत्व (DPSP) भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं।

→ ये आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं।

Article - 36

→ अनुच्छेद - 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है यह परिभाषा अनुच्छेद - 12 की तरह है।

Article-37

→ नीति निर्देशक तत्व (DPSP) न्यायालय द्वारा प्रर्वतनीय (Justicial) नहीं है अत: इनकी प्राप्ति के लिए न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है !

Article-38

→ राज्य लोक-कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा !

→ इसके अंतर्गत न्याय का सिद्धांत निहित है जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय !

→ न्याय का सिद्धांत प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में निहित है !

Article - 38(2)

→ आय
प्रतिष्ठा
सुविधाओं
अवसरों
की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा !

→ जिसके लिए राज्य ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (Minimum Wages Act 1948) !
प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 !
(Maternity Benifit Act 1961)

Article - 39

→ राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति - निर्देशक तत्व हैं।

Article - 39 (a)

→ पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार।

Article - 39 (b)

→ समाज में भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण।

Article - 39 (c)

→ अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध।

Article - 39 (d)

→ पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्यों के लिए समान वेतन।

Article - 39 (e)

→ पुरुषों व स्त्रियों श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना।

Article - 39 (f)

→ बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना और कुपोषण से बचाना।

Article-39(A)

→ अनुच्छेद-39(A) को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया।

→ इसके अंतर्गत निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है जिसके अंतर्गत 1987 में -

NALSA - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
SALSA - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
DALSA - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

की स्थापना की गई जिसे 09 Nov. 1995 से लागू किया गया।

Article-40

→ इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया परन्तु संविधानिक दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में दिया गया।

NOTE:-

→ यह अनुच्छेद गाँधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को प्रतिबिम्बित करता है।

Article-41

[कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक - सहायता पाने का अधिकार]

→ राज्य अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए काम, शिक्षा और सहायता प्रदान करेगा बेकारी (बेरोजगारी), बुढ़ापा, बिमारी और निःशक्तता (दिव्यांग) की स्थिति में।

Article-42

→ राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा।

Article-43

→ कर्मकारों (Labour) के लिए निर्वाह मजदूरी (Minimum Wages Act 1948) जीवन स्तर एवं अवकाश की व्यवस्था करेगा और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा।

Article-43 (A)

→ राज्य उद्योगों में लगे उपक्रमों संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों (Labour) का भाग लेना सुनिश्चित करेगा।

→ इस अनुच्छेद को 42 वे॰ संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया।

Article- 43(B)

→ इसकी 97 वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया।

→ सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन के बारे में प्रावधान करता है।

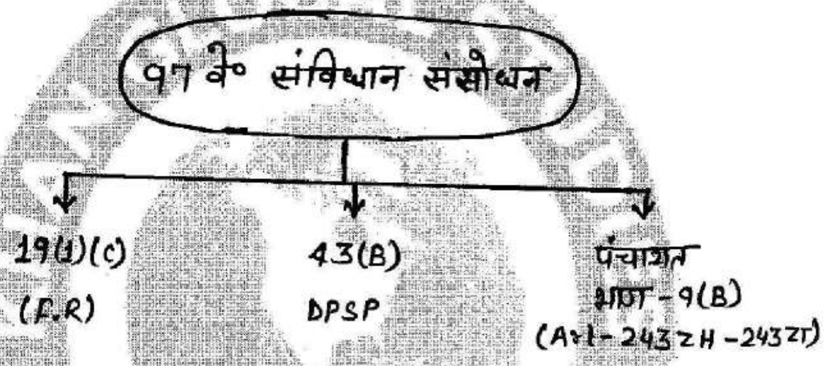

Article-44

→ नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का राज्य प्रयास करेगा।

→ वर्तमान में Supreme Court ने सायरा बानो बेगम 2017 वाद केस में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

NOTE:

→ भारत में एकमात्र राज्य गोवा जहाँ UCC (Uniform Civil Court). लागू है।

Article- 45

→ राज्य 0-6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल (Early Childhood Care) और शिक्षा की व्यवस्था।

→ 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद - 21(A) के अंतर्गत 6-14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

Article- 46

→ राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और अर्थ (धन) के संबंधी हितों का अभिवृद्धि करेगा।

→ 103वें संविधान संशोधन में आरक्षण इसके तहत प्रदान किया गया।

Article- 47

→ राज्य लोगों के पोषाआहार जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का कर्तव्य करेगा मादक पदार्थों नशीले पदार्थों के सेवन पर ~~प्रतिबंध~~ प्रतिषेध करेगा औषधियों में मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक नहीं हैं।

NOTE:-

→ बिहार में शराबबंदी अनुच्छेद - 47 के अंतर्गत हैं।

Article - 48

[कृषि और पशुपालन का संगठन]

→ राज्य कृषि पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करेगा।

→ गाय बछड़ा दुधारु पशुओं की नशलों का परिरक्षण करेगा।

→ गौ-वध की प्रतिषेध करेगा।

Article - 48(A)

→ इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया।

→ पर्यावरण के संरक्षण व सवर्द्धन तथा वन व वन्यजीव की रक्षा करना राज्य प्रयास करेगा।

→ राज्य ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972

→ राष्ट्रीय वन्य नीति 1988

→ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आदि का निर्माण किया।

Article - 49

→ राज्य. राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं, का संरक्षण करेगा।

→ इन वस्तुओं की अवैध खरीदारी, निर्यात इत्यादि पर रोक है।

Article - 50

→ राज्य लोक-सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करने के लिए कदम उठाएगा।

→ वर्तमान में DM (District Magistrate) + Collector एक ही पद है।

Article - 51

[भारतीय विदेश नीति का आधार है।]

→ राज्य विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सम्मान पूर्ण संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विधि, संधि बाध्यताओं के प्रति आदर तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण

गाँधीवादी तत्व	समाजवादी तत्व	उदारवादी तत्व
अनुच्छेद → 40, 43, 43(B), 46, 47, 48.	अनुच्छेद → 38, 39, 39 (A), 41, 42, 43, 43(A), 47.	अनुच्छेद → 44, 45, 48, 48(A), 49, 50, 51.

मौलिक अधिकार	नीति निदेशक तत्व
→ इसकी प्रकृति नकारात्मक है।	→ इसकी प्रकृति सकारात्मक है।
→ राज्य को कार्य करने से रोकता है।	→ राज्य को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
→ इनकी प्रकृति वादयोग्य है।	→ इनकी प्रकृति अवादयोग्य है।
→ USA से लिया गया है।	→ Ireland से लिया गया है।

Q. मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में कौन बड़ा है?

→ अनुच्छेद- 39(B) और 39(C) के लिए मूल अधिकार 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता है

→ 1980 के मिनर्वा मील मामले में Supreme Court ने मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व को एक दूसरे का पूरक कहा और एक सिक्के के दो पहलू कहा।

NOTE :-

→ ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्वों को संविधान का आत्मा कहा।

→ प्रो॰ के॰पी॰शाह ने DPSP को ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक इच्छा पर निर्भर करता है।

→ टी॰टी॰ कृष्णाचारी ने संविधान निर्माताओं का इच्छाओं का कूड़ादान कहा।

भाग - 4(A) (Article-51(A))

मूल कर्तव्य
Fundamental Duties

→ 42 वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।

→ 11वां मौलिक कर्तव्य 86 वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2002 में जोड़ा गया।

→ विश्व मे जापान और भारत लोकतांत्रिक देश है जहाँ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान मिलता है।

→ यह सोवियत संघ (वर्तमान रूस) से लिया गया।

मौलिक कर्तव्य

1. संविधान का पालन करें उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

NOTE:-

इसमें राष्ट्रगीत नहीं है।

2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सँजोए रखे और उनका पालन करें।

3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण (बचाएँ) रखें।

4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा, प्रदेश, और वर्ग के भेद-भाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।

6. हमारी सामासिक संस्कृति (composite culture) की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करें।

7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्द्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें।

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू लें।

11. माता या पिता या संरक्षक (Guardian) अपने 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा।

जे० एस० वर्मा समिति (Justice वर्मा समिति) 1998

→ इस समिति का गठन 1998 मे किया गया था।

→ 1999 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें 03 Jan 1977 को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाने की अनुशंसा की।

→ प्रचार-प्रसार और मीडिया के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए।

→ मूल कर्तव्यों को विद्यालय के पाठ्यक्रम, अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

→ सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड एवं विज्ञापन आदि के माध्यम से मूल कर्तव्य का प्रचार किया जाए।

जे० एम० एन० चलैया समिति (Justic चलैया समिति) 2000

→ इस समिति ने प्रथम संविधान समीक्षा आयोग वर्ष 2000 के माध्यम से निम्न सिफारिशें दी।

1. मौलिक कर्तव्य भाग-2 में होने चाहिए।

2. भारत का प्रत्येक नागरिक अपने दैनिक जीवन में निम्न कर्तव्यों का पालन करेगा।

NOTE:-

मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को जेल (Jail) नहीं भेजा जाएगा अत: ये वाद योग्य नहीं हैं परन्तु इनके अंतर्गत दिए गए विषयों के तहत व्यक्ति जेल (Jail) जा सकता है।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

भाग - 5 (Article - 52 - 151)

संघ

संघ

- कार्यपालिका (Executive) (Article - 52-78)
- विधायिका (Legislature) (Article - 79-123)
- न्यायपालिका (Judiciary) (Article - 124-147)
- CAG (Article - 148 - 151)

संघ की कार्यपालिका [Article - 52 - 78]

- राष्ट्रपति (Article - 52-62)
- उपराष्ट्रपति (Article - 63-73)
- प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद् (Article - 74 & 75)
- AG (Article - 76)
- भारत सरकार के कार्य (Article - 77 & 78)

भारत का राष्ट्रपति
[Article- 52-62]

Article-52

→ भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

→ यह देश संविधानिक प्रमुख होगा।

→ यह भारत का प्रथम नागरिक होगा।

* भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था है जिसमें देश के दो प्रमुखों का प्रावधान है

1. राष्ट्र का प्रमुख।
2. सरकार का प्रमुख।

* राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री।

NOTE:-

→ भारत में राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति कहते हैं

→ संविधान सभा में राष्ट्र की जगह राष्ट्रपति नाम का सुझाव संघ संविधान समिति के सदस्य "श्यामा प्रसाद मुखर्जी" ने 30 April 1947 को दिया और राष्ट्रपति नाम को मंजूरी मिली।

Article - 58

[राष्ट्रपति की योग्यताएँ (Qualification for the Post)]

→ भारत का नागरिक हो। → (जन्म से नहीं) X

→ वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो (न्यूनतम्)!
→ (अधिकार नहीं) X

→ लोक सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है!
→ (सदस्य नहीं हो) X

→ लाभ के पद पर न हों!

NOTE:-

भारत के संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अनुच्छेद - 58(2) राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, संघ/राज्य सरकार के मंत्री लाभ के पद के नहीं हैं।

लाभ का पद

→ संघ सरकार राज्य सरकार स्थानीय सरकार व अन्य. प्राधिकरण में वेतन, लाभ, सुरक्षा, प्राधिकार और सुविधा प्राप्त करने वाले सभी लोगों को लाभ के पद के अंतर्गत माना जाता है!

* राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अन्य योग्यताओं का निर्धारण करने का अधिकार अनुच्छेद - 71(3) के तहत संसद को दिया गया है।

* संसद ने 1952 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाया जिसके तहत एक अनुमोदक एवं एक प्रस्तावक और zero राशि।

* 1974 - 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक, ₹ 2500 की राशि।

* 1997 - 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, ₹ 15000 की राशि का चेक (cheque) जोकि RBI को देय हो।

* जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी यदि कुल वैध मत का 1/6 मत वोट न प्राप्त हो।

Article - 54

[राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल
(Electoral College of President.]

→ राष्ट्रपति के पद के लिए वोट डालने वाले को मतदाता नहीं निर्वाचित कहते हैं।

→ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य।

→ राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य।

→ राज्य विधान सभा के सदस्य।

→ दिल्ली पुडुचेरी J&K विधान सभा के निर्वाचित सदस्य।

→ पुडुचेरी और दिल्ली को 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया परन्तु इन्होंने पहला मत 1997 के चुनाव में दिया था।

NOTE:-

→ राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनित सदस्य मना है।

→ राज्य विधान परिषद् के सदस्य वोट नहीं डालते हैं।

Article-55

[राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
Method of president Election]

अनुपातिक पद्धति (Proportional Representation)

→ भारत में राष्ट्रपति का चुनाव मतो के अनुपात के आधार पर होता है अतः राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आधे (50%) से 1 मत अधिक प्राप्त करना चाहिए।

गुप्त मतदान (secret Ballot)

→ राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान है अत: राष्ट्रपति के निर्वाचन में गुप्त तरह से बिना किसी को दिखाएँ मत का प्रयोग किया जाता है।

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (single transferable vote system).

→ इसमें मतदाता एकल (single) होता है उसका मत उसकी पसंद के आधार पर एक से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित (Transfer) होता है।

NOTE:-

→ प्रथम मत देना अत: पहली पसंद होना आवश्यक होता है यदि निर्वाचक पहली पसंद नहीं देता है तो मत रद्द कर दिया जाता है।

→ राष्ट्रपति के निर्वाचन में (NOTA) का प्रयोग नहीं होता है।

→ राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन आयोग करवाता है अनुच्छेद- 324 इसके पीठासिन अधिकारी राज्यसभा या लोक-सभा के सचिव बारी-बारी से होते है 2000 के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य सभा के सचिव पीठासिन (R.O.) थें।

→ हरिराम चौधरी ने 5 बार सर्वाधिक बार राष्ट्रपति का पर्चा भरा अबतक 7 महिलाओं ने राष्ट्रपति का पर्चा भरा जिसमे 2 महिलाओं ने चुनाव जीता।

1. कृष्णा कुमार बेनर्जी → 1952
2. मनोहरा होल्कर → 1967
3. फूलचरण कौर → 1969
4. लक्ष्मी सहगल → 2002
5. प्रतिभा देवी सिंह पाटिल → 2007
6. मीरा कुमार → 2017
7. द्रौपदी मुर्मू → ~~[illegible]~~ 2022

→ ~~[illegible]~~ भारत में अबतक सिर्फ एक बार V.V. गिरी 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना का प्रयोग हुआ है।

→ यदि किसी भी मतदान में उम्मीदवार को 50% से 1 अधिक मत नहीं प्राप्त होता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को सब में बराबर बाँट दिया जाता है इसे द्वितीय चक्र की मतगणना कहते हैं।

→ भारत में एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए।

→ $$1\ \text{MLA मत} = \frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}}{\text{राज्य के निर्वाचित MLA की संख्या}} \times \frac{1}{1000}.$$

→ इसमें 1971 की जनसंख्या का प्रयोग किया गया है क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत की जनसंख्या में बहुत अंतर नहीं था।

→ 84वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से वर्ष 2026 तक जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 रहेगा।

→ राष्ट्रपति चुनाव - 2022 में बिहार के 01 MLA का मत मूल्य 173 है।

→ भारत में सर्वाधिक MLA का मत का मूल्य उत्तर प्रदेश 208 है।

→ भारत के सबसे कम MLA का मत का मूल्य सिक्किम का 07 है।

→ हर राज्य के MLA के मत का मूल्य अलग-अलग होता है क्योंकि राज्य की जनसंख्या और विधान सदस्य की संख्या अलग-अलग होती है।

2022 के राष्ट्रपति चुनाव देश के कुल विधायकों के वोटों का मूल्य 5,43,231.।

→ 1 MP के मत का मूल्य = $\frac{\text{देश के विधायकों के वोटों का कुल मूल्य}}{\text{निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या}}$

$= \frac{543231}{776} = 700.$

→ सभी सांसदो के मत का मूल्य बराबर होता है

→ देश के कुल सांसदों का मत का मूल्य - ₹ 543200

$\frac{MLA + MP}{2} + 1$

$= \frac{543200 + 54323}{2} + 1$

$= \frac{1086431 + 1}{2}$

$= 543216.$

→ किसी राज्य की विधान सभा भंग होने पर या सांसद के पद खाली होने पर राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

→ राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद होता है तो अनुच्छेद - 71 के तहत इसकी सुनवाई सिर्फ Supreme Court करता है और Supreme Court का निर्णय अंतिम होता है।

→ परिणाम आने के 30 दिनों के अंदर Supreme Court में अपील करनी होगी अपील उम्मीदवार स्वयं कर सकता है।

Article-60

[राष्ट्रपति का शपथ
Oath of the President]

→ भारत का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा (संरक्षण) प्रतिरक्षा और परिरक्षा की शपथ लेता है

→ राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य भारत का मुख्य न्यायधीश करता है

NOTE :-

→ राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची मे नहीं है

Article-56

[राष्ट्रपति का कार्यकाल
Term of the President office]

→ राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होता है

→ राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष से अधिक अपने उत्तराधिकारी के आने तक रह सकता है

→ राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले भी खाली हो सकता है

1. त्याग पत्र (Resignation)
2. महाभियोग (Impeachment)
3. मृत्यु होने पर (Deadth)

त्यागपत्र (Resignation)

→ राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की प्रथम सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं।

→ राष्ट्रपति मुख्य न्यायधीश को कभी त्याग पत्र नहीं सौंपते हैं।

→ यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु महाभियोग त्याग पत्र किसी भी आकास्मिक स्थिति में खाली होता है तो अधिकतम 6 महिने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए।

→ यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं।

→ उपराष्ट्रपति के ना होने पर मुख्य न्यायधीश के ना होने पर supreme court का वरिष्ठ न्यायधीश।

NOTE:-

→ संसद ने 1969 में नियम बनाकर यह प्रावधान किया।

जैसे:-

→ भारत के राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसैन की मृत्यु होने पर V.V.Giri ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर Justice M. हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया।

NOTE:-

→ राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाला हर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद की शपथ लेगा।

→ राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति पद की सभी सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

महाभियोग (Impeachment)

→ महाभियोग शब्द का प्रयोग अनुच्छेद-56 में किया गया है।

→ महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद-61 में दी गई।

→ भारत के संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है।